ग्राम पंचायत, मानगढ़, विकास खण्ड पच्छाद, ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017

भाग-1

1 क) प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत मानगढ, विकास खण्ड पच्छाद, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री लेख राज	23.01.2011 से 22.01.2016
2.	श्री विनोद कुमार	23.01.2016 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री नेक राम ठाकुर	10.10.2008 से लगातार

(ख) गंभीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत मानगढ़ के लेखों का अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं0	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना	**0.09**
2	7(i)	गृहकर की शेष वसूली	0.05
3	7(ii)	मोबाइल टावर फीस की शेष वसूली	0.69
4	8	अनुदान की राशी का उपयोग न करना	17.70
5	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय	-------
6	10	जे.सी.बी चार्जीस का अनियमित भुगतान	1.67
7	11	क्रय की गई सामग्री की स्टोर/स्टॉक प्रविष्टि न करना	-------

8	12(iii)	निर्माण कार्यो को तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाए बिना राशि का आहरण/भुगतान	31.63
9	13(ii)	रोकड़ बही में दर्ज राशी से Online पाया गया अधिक भुगतान	3.61
10	13(iii)	एक व्यय का चेक तथा दोबारा ऑनलाइन भुगतान करने से राशि का अधिक आहरण कर आहरित राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	0.59
11	13(iv)	मनरेगा योजना में सीमेंट की खरीद HPSCSC, Ltd से न करके निजी विक्रेताओं को राशि का अधिक भुगतान	0.10
12	14	सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से सत्यापित व मूल्यांकित करवाए बिना मस्टर रोल्स की राशि का भुगतान	0.71

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत मानगढ़, विकास खण्ड पच्छाद, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक **10.10.17, 11.10.17, 16.10.17** से **18.10.17 तथा 25.10.2017** को ग्राम पंचायत मानगढ़ के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	**माह**	
	आय	**व्यय**
2014-15	02/2015	02/2015
2015-16	05/2015	01/2016
2016-17	02/2017	10/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत मानगढ़, विकास खण्ड पच्छाद, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹6000** बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009** को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या

जी.पी.(आडिट)/पच्छाद/2017-18-11 दिनांक 25/10/2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मानगढ से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत मानगढ़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

i) स्व: स्त्रोत:- ग्राम पंचायत मानगढ़ के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति, जिसका विवरण **परिशिष्ट–**2 में संलग्न है: –

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	247421.79	44984.50	292406.29	25829.00	266577.29
2015-16	266577.29	43925.00	310502.29	136117.00	174385.29
2016-17	174385.29	107851.00	282236.29	29685.00	252551.29

नोट:- सचिव ग्राम पंचायत मानगढ़ द्वारा स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि में ही जमा करवाया गया है यद्यपि निधि का प्रारम्भिक शेष **{परिशिष्ट- 1}** के अनुसार पृथक से निकाल रखा है जिसके अनुसार 31/03/2014 को निधि का शेष **₹2,47,421.79** दर्शाया गया है, परन्तु पंचायत निधि का पृथक से खाता नहीं खोला गया है जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्व: स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर **खाता-(क)** में रखे जाने का प्रावधान है। अतः स्व: स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसका रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

ii) अनुदान:- ग्राम पंचायत मानगढ़ के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-3** मे भी दिया गया है ।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	1035447.57	2070831.00	3106278.57	1775195.72	1331082.85
2015-16	1331082.85	1047390.00	2378472.85	1666084.68	712388.17
2016-17	712388.17	1426138.00	2138526.17	368467.50	1770058.67

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था । जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही (वितीय स्थिति) तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/2017 को निम्नविवरणानुसार **₹8861** का अन्तर है जिसकी जाँच की जाए तथा

अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	स्व: स्त्रोत	252551.29	2
2.	अनुदान	1770058.67	3
3.	समेकित वितीय स्थिति के अनुसार शेष (1+2)	2022609.96	4
4.	विभिन्न बैंकों में जमा राशि	2031470.96	5
5.	**अन्तर (ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट पर)**	**₹8861.00**	

विभिन्न बचत बैंक खातों में 31.03.2017 को जमा राशि का ब्यौरा

क्रम स.	अनुदान	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	31.03.2017
1.	सामान्य निधि	HPSC, Sarahan	56610104101	1558901.06
2.	BRGF	----do---	56610105605	2353.00
		UCO, Mangarh	15160110003138	31921.28
3.	विकास कार्य	---do---	15160110003121	52845.00
		HPSCB, Sarahan	56610104676	130222.00
4.	MANREGA	---do---	56610104677	NIL
		UCO, Mangarh	15160101201785	NIL
5.	IAY	HPSCB, Sarahan	56610104171	65959.00
6.	**MHWDP**	UCO, Mangarh	15160101201890	78202.00
			बचत बैंक खातों में जमा कुल राशि	**₹1920403.34**
			*****सावधि जमा निवेश (सामान्य निधि)**	**110955.62**
			हस्तगत शेष (सामान्य निधि)	--------
			हस्तगत शेष (विकास कार्य)	**112.00**
		31.03.2017 को कुल शेष राशि		**₹2031470.96**

6 स्वः स्त्रोत : –

ग्राम पंचायत मानगढ़ को गत तीन वर्षों में स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत को स्वयं के स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है जिसका प्रमुख कारण यह है कि एक ओर तो ग्राम पंचायत द्वारा पिछले कई वर्षो से गृहकर व अन्य करों की दरें ही निर्धारित नहीं की गई है। क्योकि उक्त दरों के निधारण से सम्बंधित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण अवधि के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया। यद्यपि, सचिव ग्राम पंचायत मानगढ़ द्वारा उनके पत्र क्रमांक::GP-33 दिनांक 19/09/2017 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न करों व शुल्कों की वसूली निम्नलिखित दरों से की गयी है।

क्रमांक	विवरण	दरें (शुल्क/कर)

1	विवाह पंजीकरण शुल्क		200 (30 दिनों तक) 400 (90 दिनों तक)
2	प्रमाण पत्र फीस		10
3	सम्पत्ति कर	2014-15 2015-16 2016-17	30 प्रति वर्ष 50 प्रति वर्ष 50 प्रति वर्ष

अतः उक्त दरों को निर्धारित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में समय रहते इन दरों का नियमानुसार निर्धारण कर तदानुसार ही इन करों/ शुल्कों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

7 स्वः स्त्रोत ₹0.74 लाख वसूली हेतु शेष:-

(i). गृहकर की ₹5,155 वसूली हेतु शेष:-

सचिव ग्राम पंचायत मानगढ़ द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: जी.पी.ऑडिट/पच्छाद/मानगढ़ /2017-18-3 दिनांक 11/10/2017 के सन्दर्भ में उनके पत्र क्रमांक:GPM-18 दिनांक 25/10/2017 के क्रमांक: 2 द्वारा गृहकर की शेष वसूली के बारे में जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/2017 को गृहकर की ₹**5155** वसूली योग्य शेष थी। (**परिशिष्ट–6**) अतः उक्त राशी की शीघ्र वसूली कर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण अवधि के दौरान गृहकर की वसूली गई तथा वसूली हेतु शेष राशि का ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है।

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर	कुल कर	प्राप्त राशि	शेष राशि
2014-15	394	30/-	11820/-	11165/-	655/-
2015-16	405	30/-	12150/-	-------	12805/-
2016-17	407	30/-	12210/-	19860/-	5155/-
गृहकर की वसूली योग्य राशि			**36180/-**	**31025/-**	**5155/-**

(ii). मोबाइल टावर ₹69,000 वसूली हेतु शेष:-

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त पत्र के क्रमांक: 3 पर दर्शायी गई सुचना के अनुसार दिनांक 31/03/2017 को **पंचायत के अधिकार क्षेत्र में स्थापित** मोबाइल टावर का सम्बन्धित मोबाइल टावर्स कम्पनियों से नियमानुसार स्थापना व् नवीनीकरण शुल्क के रूप में ₹**69,000** वसूली योग्य शेष थी। (**परिशिष्ट–6**) अतः उक्त राशी को सम्बन्धित कम्पनियों से वसूली कर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

ग्राम पंचायत मानगढ़ द्वारा आय की वसूली से सम्बन्धित **"मांग एवं वसूली पंजी"** का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में उक्त गृहकर शुल्क तथा मोबाइल टावर के नवीनीकरण व् स्थापना शुल्क के सम्बन्ध में वास्तविक वसूली योग्य राशि उक्त राशि से कहीं अधिक होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त आय की राशि की शीघ्र अतिशीघ्र वसूली की जाए, साथ ही, पंचायत सचिव इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच

करते हुए वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके सम्बन्धित से उसकी वसूली करते हुए पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित करे तथा तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त भविष्य में **"मांग एवं वसूली पंजी"** का संधारण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय सही राशि का पता चल सके व पंचायत को आय की हानि न हो।

8 अनुदान ₹17.70 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध कारवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-3)** के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक अनुदानों से प्राप्त **₹17,70,058** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधित है जिसके अनुसार ₹1000 से अधिक के व ₹ 50,000 से कम राशि के क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाना तथा ₹50,000 से अधिक राशि के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है नियम 67 (3) (a) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नामित दो वार्ड सदस्यों तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके निविदा/कोटेशन्स आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत ने बिना उप समिति का गठन किये और नियमानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही स्टोर/स्टॉक की सामग्री का क्रय किया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है। अतः उक्त व्यय/क्रय को नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय/क्रय नियमानुसार तरीके से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त नियमों कि अवहेलना कर पंचायत द्वारा किये गये क्रय की कुछ मदों का ब्यौरा संलग्न **{परिशिष्ट- 7}** में दिया गया है।

10 जे.सी.बी चार्जीस का ₹1.67 लाख का अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर **₹1,67,000** का भुगतान बिना निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया है, जबकि पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 (5)(a)व(b) के अनुसार के भुगतान/क्रय के लिये निविदाएँ आमंत्रित की जानी अपेक्षित थी व नियम 67(3) के अनुसार उक्त कार्यो हेतु कोटेशन्स/निविदाएँ आमंत्रित करने के लिए एक उप

समिति का गठन किया जाना अनिवार्य था, जिनकी अनुपालना किये बिना ही पंचायत द्वारा जे.सी.बी को विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। **इसके अतिरिक्त जे.सी.बी** द्वारा **करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता/तकनीकी सहायक** द्वारा अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिनकी अनुपस्तिथि में जे.सी.बी चार्जिस का लाखों रूपये का भुगतान तर्कसंगत व् उचित था नहीं कहा जा सकता। अतः सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा जे.सी.बी **द्वारा** करवाए गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकदारों को जे.सी.बी चार्जिस का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौतीयां नहीं की गई है जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदारों से निम्नवर्णित संवैधानिक कटौतीयां की जानी अपेक्षित थी।

(क) आयकर 2%
(ख) सेल्स टैक्स 3%
(ग) प्रतिभूति राशि 10%
(घ) लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटोतियों को सम्बंधित बिल से न किये जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतीयां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जे.सी.बी/ब्रेकर चार्जीस के ₹1,67,000 के अनियमित भुगतान का विवरण

क्रमांक	**फर्म/ठेकेदार का नाम**	**दिनांक**	**कार्य के घंटे**	**दर प्रति घंटा ₹**	**कुल भुगतान ₹**
		अनुदान : विकास कार्य			
1.	**विक्रम ठाकुर, नारग**	01.2016	20	700/-	14000/-
		स्टोन ब्रेकर	4	1500/-	6000/-
2	जगमोहन सिंह	27.06.2014	40	750/-	30000/-
3	---do---	22.09.2014	64	750/-	48000/-
4	---do---	13.03.2015	27	750/-	19500/-
5	---do---	02.05.2015	66	750/-	49500/-
				कुल	**₹167000/-**

11 क्रय की गई स्टोर/स्टॉक की सामग्री की प्रविष्टि न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में

दर्ज करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत मानगढ़ के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु क्रय की गई विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की जा रही है जोकि नियमानुसार अपेक्षित थी । अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई कुछ मदें जिन्हें स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था का ब्यौरा संलग्न (**परिशिष्ट-7**) में दिया गया है।

अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

12 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितता बारे:-

(i). पंचायत निधि से पंचायत के सभा भवन के रंग-रोगन पर खर्च ₹0 . 12 लाख से सम्बन्धित अनियमितता बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक **07.01.2016** को **सामान्य निधि** की रोकड बही के पृष्ठ संख्या 91 पर **चेक संख्या 683700** द्वारा सभा भवन में सफेदी करवाने हेतु सामग्री के क्रय पर **₹12000** का व्यय दर्शाया गया है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान न तो उक्त सामग्री की स्टोर प्रविष्टि दर्शायी गई और न ही क्रय की गई सामग्री का उक्त कार्य में उपयोग से सम्बन्धित माप पुस्तिका ही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई, क्योकि विकास कार्य की सूचि (General Fund) के क्रम संख्या: 5 के अनुसार उक्त कार्य पर दर्शाए गए खर्च को तकनीकी प्राधिकारी द्वारा भी मूल्यांकित नहीं किया गया है। इस प्रकार दर्शाया गया व्यय संदेहात्मक प्रतीत होता है जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए, भुगतान/व्यय उचित न पाए जाने की स्थिति में उक्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ii) तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय कर ₹1,859 का अधिक आहरण/भुगतान कर राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

अंकेक्षण के दौरान निम्नतालिका में वर्णित कार्यों में उपयोग लायी गई निर्माण सामग्री का तकनीकी प्राधिकारी द्वारा माप पुस्तिकाओं में किये गए मूल्यांकन के साथ मिलान करने पर पाया गया कि तकनीकी प्राधिकारी के प्राक्कलन/मूल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री की मात्रा की खरीद कर **₹1,859** का अधिक आहरण किया गया है जोकि अनियमित है। अतः उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए व भविष्य में इस प्रकार से दुर्विनियोजन की सम्भावना/पुनरावृति पर अंकुश लगाया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

विविध अनुदान(TSC):-निर्माण शोचालय GPS, बगड़ MB No: 11233 पृष्ठ-68

निर्माण सामग्री का नाम	सामग्री की क्रय की गई मात्रा	सामग्री की मूल्यांकित मात्रा	अधिक क्रय की गई मात्रा	क्रय दर	राशि का अधिक आहरण/व्यय
रेत	215 फुट	194 फुट	21 फुट	40/-	840/-
सरिया	190 किलो	179 किलो	11 किलो	49/-	539/-
विविध अनुदान(TSC):-निर्माण शोचालय GPS, घेंडो MB No: 11233 पृष्ठ-52					
रेत	203 फुट	215 फुट	12 फुट	40/-	480/-
राशि का कुल अधिक आहरण/भुगतान					**₹1859/-**

(iii) निर्माण कार्यो को तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकन करवाए ₹31.63 लाख का आहरण/भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों को सक्षम **तकनीकी प्राधिकारी** से मूल्यांकित करवाए बिना ही **₹31,62,845** का आहरण/भुगतान किया गया है, जोकि नियमानुसार न होने के कारण अनियमित तथा संदिग्ध प्रतीत होता है I विकास कार्यों की सूचि {**परिशिष्ट-8**} के अनुसार बहुत से कार्य वर्ष 2014-15 या इससे भी पहले से शुरू किये गए है जोकि अंकेक्षण अवधि तक भी पूर्ण नहीं हुए थे और न ही इन कार्यों पर दर्शाए गए व्यय को तकनीकी प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया गया है, जोकि उक्त विकास कार्यों की सूचि के अनुसार स्वतः ही स्पष्ट है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित **प्राक्कलन अभिलेख, माप पुस्तिकाएं, मूल्यांकन शीट्स तथा उक्त कार्यो के पूर्ण होने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख** अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनके आभाव में दर्शाया गया व्यय/भुगतान सही था भी या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी, जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए कि कौन से कार्य पूर्ण हो गए है तथा कौन से कार्य प्रगति पर है तथा कौन से कार्य अधूरे/कितनी अवधि से बन्द पड़े है और उन पर दर्शाया गया व्यय सही है या नहीं। अन्यथा, भुगतान/आहरण अनियमित पाए जाने की स्थिति में आहरित राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iv) निर्माण कार्यों में उपयोग लायी गई सामग्री की मात्र तथा तकनीकी प्राधिकारी द्वारा उनके मूल्यांकन की मात्रा में अत्यधिक अन्तर बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्यों में निम्नतालिकानुसार उपयोग में लायी गई निर्माण सामग्री की खरीद तथा तकनीकी प्राधिकारी द्वारा उक्त कार्य में उक्त मद की मूल्यांकित मात्रा में **10% से 75%** का अन्तर पाया गया है जोकि तर्कसन्गत प्रतीत नहीं होता| क्योकि अंकेक्षण के दौरान निम्नतालिकानुसार मदों के मुल्यांकन में आई अविश्वसनीय वृद्धि के बारे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गए कि बढ़ी हुई मात्रा उक्त कार्य में कहाँ से उपयोग की गई जबकि पंचायत के अभिलेख के अनुसार उसकी खरीद काफी कम थी| अतः उपरोक्त बारे तथ्यों सहित यह स्पष्ट किया जाए कि उक्त मदों के मुल्यांकन में इतनी अधिक वृद्धि किन कारणों से दर्ज की गई है, यदि उक्त

कार्यों की मूल्यांकित मात्रा उक्त कार्यों के Original Estimates में मदवार मान दण्डों के अनुसार नहीं पाई जाती तो इस प्रकार के सभी प्रकरणों का पुनर्मुल्यांकन किया जाना चाहिए। उक्त कार्यो से सम्बन्धित प्राक्कलन अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, फलस्वरूप खरीदी गई मात्रा का प्राक्कलन में दी गई मात्रा के साथ मिलान नहीं किया जा सका।

क्रमांक	**निर्माण सामग्री का नाम**	**मूल्यांकित मात्रा**	**खरीद/उपयोग में लायी गई मात्रा**	**अन्तर**	**अधिक मूल्यांकन (%)**
	निर्माण शौचालय GPS बगड़				
1	ईंटें	4007	3400	607	17.85%
2	बजरी	105 फुट	70 फुट	45 फुट	64%
	निर्माण शौचालय GMS, घेंडो				
3	बजरी	120 फुट	70 फुट	50 फुट	71%
	निर्माण शौचालय GPS, घेंडो				
4	बजरी	120 फुट	70 फुट	50 फुट	71%
5	ईंटें	4235	3400	835	25%
	सिंचाई टैंक कामोण				
6	सीमेंट	70 बैग्स	40 बैग्स	30 बैग्	75%
7	बजरी	506 फुट	300 फुट	206फुट	68%
	निर्माण सामुदायिक भवन बाग़				
8	रेत	350 फुट	200 फुट	150फुट	75%
सिंचाई टैंक ढाल बाग़					
9	बजरी	488 फुट	405 फुट	83फुट	20%

(v). स्वीकृति पत्र की शर्तों के विपरीत छः वर्षों से भी अधिक समय से अधूरे चल रहे निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितता बारे:-

निर्माण कार्य सामुदायिक भवन बाग (मानगढ़) पर दर्शाए गए व्यय के अंकेक्षण दौरान निम्नलिखित अंकेक्षण आपत्तियां पाई गई;

(a). उक्त कार्य हेतु पत्र **संख्या:PLG-SRM-(F)199(MPLAD)-LS)/99-IV-Block Development Officer Pachhad, Diary No. 1873 Dated 05.03.2010 द्वारा ₹1,00,000 स्वीकृत** किये गए थे जबकि उक्त कार्य पर दिनांक **19.07.2010** से **20.07.2016** के दौरान निम्नतालिकानुसार **₹1,98,540** का व्यय भुगतान दर्शाया गया है, इस प्रकार **₹98,540**. का व्यय भुगतान/आहरण स्वीकृत राशि से अधिक किया गया प्रतीत होता है| अतः उक्त बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए, अधिक व्यय/भुगतान पाए जाने की स्थिति में वसूली सुनिश्चित की जाए। (**परिशिष्ट–9**)

(b). उपरोक्त स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार उक्त कार्य को 6 माह के भीतर पूर्ण किया जाना था, जबकि उक्त सामुदायिक भवन लगभग 6 वर्षों से भी अधिक समय से निर्माणाधीन पड़ा है। अतः उक्त कार्य को स्वीकृत पत्र की शर्तों के अनुसार पूर्ण न करने बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए।

(c). उक्त कार्य पर दर्शाया गया भुगतान कार्य का तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित किये बिना ही किया गया है क्योकि उक्त **व्यय/भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिका, प्राक्कलन तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र अंकेक्षण** हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः दर्शाया गया व्यय/भुगतान सही था भी या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(d). उक्त कार्य हेतु दिनांक **06.10.2015** को 195 फुट रेत @ 40/- तथा 200 फुट बजरी @ 45/- के क्रय पर भंडारी गुड्स केरियर को **₹16,800** का भुगतान दर्शाया गया, जिसकी लगभग 4 माह बाद दिनांक **20.01.2016** को उक्त विक्रेता से वसूली दर्शायी गई है। बिना देयता के सरकारी कोष से किया गया आहरण सरकारी धनराशी का अस्थायी दुर्विनियोजन प्रतीत होता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

निर्माण सामुदायिक भवन बाग़ पर खर्च राशि का ब्यौरा

दिनांक	सामग्री	मात्रा	दर	राशि	CBP
19.07.2010	Sand	550 cuft.	28/-	15400/-	20
19.07.2010	Aggregate	250 cuft.	30/-	7500/-	20
19.07.2010	Bricks	6500	5.50	35750/-	20
19.10.2010	Windows	3	4800/-	14400/-	23
19.10.2010	Doors	1	4200/-	4200/-	23
19.10.2010	Door	1	2000/	2000/-	23
29.11.2011	Muster roll	No:14597	-------	9061/-	33
29.11.2011	Stones	2000	5/-	10000/-	33
07.12.2011	Muster roll	No:14597	-------	1560/-	33
10.02.2015	Cement	50 bags	232/-	11600/-	55
10.02.2015	Carriage above	50 bags	34/-	1700/-	55
04.03.2015	Steel	70 kg	45/-	3150/-	55
27.03.2015	Cement	30 bags	232/-	6960/-	59
25.04.2015	Cement	15 bags	232/-	3480/-	63
25.04.2015	Carriage above	15 bags	34/-	510/-	64
04.08.2015	Steel	530 kg	45/-	25122/-	68
30.09.2015	Muster roll	19222	-------	11700/-	69
06.10.2015	**Purchased 195ft sand@40/-ft 200 ft agg. @45/-ft=16800/-**				**69**
20.01.2016	**Above amount shown recovered from the supplier**				**72**
29.01.2016	Muster roll	19228	-------	10800/-	72
29.01.2016	Masson	25 days	291/-	8148/-	72
19.07.2016	Shuttering	500 ft.	20/-	10000/-	76
20.07.2016	**Paint Material**	**--------**	**-------**	**5499/-**	**76**
	19.07.2010 से 31.03.2017 तक आहरण की गई कुल राशि			**₹198540/-**	

(vi). निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख-रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु

अपेक्षित **प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र** इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनकी अनुपस्थिति में निर्माण कार्यों पर खर्च किये गये लाखों रूपये के व्यय का माप पुस्तिकाओं तथा सम्बन्धित अभिलेख के अनुसार पुर्णतः जाँच नहीं की जा सकी| जिससे विकास कार्यो पर दर्शाया गया व्यय प्राक्कलन व् अधिकारिक अनुमोदन के अनुसार सही था भी या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी और न ही कार्यों के पूर्ण होने की स्थिति ज्ञात हो सकी। अतः उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उन्हें पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाए जा रहे लाखों रूपये के निर्माण कार्यों की पूर्ण जाँच सम्भव/सुनिश्चित हो सके।

13 मनरेगा योजना के अंतर्गत खर्च राशी से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-

(i) वितीय वर्ष 2016-17 की रोकड़ बही संधारित न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा वितीय वर्ष 2016-17 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान व् खर्च की गयी राशी को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है, जबकि उक्त अवधि में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की गई **Online Financial Statements** (प्रति संलग्न) के अनुसार विभिन्न विकास कार्यो पर वितीय वर्ष 2016-17 में **₹3,83,070** का **Online** भुगतान (**परिशिष्ट–10**) किया गया है। उक्त प्राप्ति व् भुगतान का रोकड़ बही में दर्ज न होने के कारण न तो उन्हें वितीय स्थिति में शामिल किया जा सका और न ही सम्बन्धित अभिलेख के साथ उसकी अंकेक्षण से सम्बन्धित जाँच की जा सकी, क्योंकि उक्त योजना के अंतर्गत अंकेक्षण अवधि के दौरान स्वीकृत/किये गए विभिन्न विकास कार्यों (सार्वजनिक व् निजी) की विकास कार्य सूचि, स्वीकृति पत्र, कार्यों के तकनीकी प्राक्कलन, सम्बन्धित माप पुस्तिकायें, कार्य पूर्ण होने व् मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिनके अभाव में उक्त योजना पर खर्च की गई राशि का व्यय/भुगतान सही था या नही इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी| अतः उक्त अवधि की रोकड़ बही को संधारित न करने तथा सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) रोकड़ बही में दर्ज राशी से वर्ष 2014-15 व् 2015-16 के दौरान ₹ 3.61 लाख का Online अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत **(Online Financial Statements)** के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों हेतु किये गए भुगतान की राशी बिल/वाउचर के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज की गई व्यय की राशी से वितीय वर्ष **2014-15** में **₹68,257** तथा वर्ष **2015-16** में **₹.2,92,519** अधिक है। उक्त **Online** भुगतान की गई राशि तथा रोकड़ बही में दर्ज व्यय की राशी में उपरोक्त अन्तर बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उक्त अधिक भुगतान की गई राशी को उचित स्त्रोत से वसूलकर पंचायत निधि/सम्बन्धित कोष में जमा किया

जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त अन्तर/अधिक भुगतान का ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है; **(परिशिष्ट–10)**

वर्ष	रोकड़ बही में दर्ज कुल व्यय	चेक द्वारा किया गया भुगतान	रोकड़ बही के अनुसार कुल ऑन लाइन भुगतान	फाइनेंसियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल भुगतान	अन्तर अधिक भुगतान (रु.)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4) [2-3]**	**(5)**	**(6) [5-4]**
2014-15	669896/-	67579/-	602317/-	670574/-	68257/-
2015-16	224344/-	143/-	224201/-	516720/-	292519/-
कुल	**894240/-**	**67722/-**	**826518/-**	**1187294/-**	**360776/-**

(iii) निर्माण कार्य पर व्यय की गई राशि को चेक द्वारा तथा दोबारा ऑनलाइन भुगतान कर ₹0.59 लाख का अधिक भुगतान/आहरण कर आहरित राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निर्माण कार्य **सिंचाई टैंक चड़ेटी तथा निर्माण टैंक बारू राम, मानगढ़** हेतु निर्माण सामग्री के क्रय की अदायगी निम्नतालिकानुसार दो बार **(DOUBLE)** की गई प्रतीत होती है जिस बारे जाँच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए| भुगतान दो बार **(DOUBLE)** पाए जाने की स्थिति में अधिक भुगतान/आहरित की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया **जाए**| भुगतान का ब्यौरा निम्नानुसार है;

निर्माण टैंक बारू राम, मानगढ़					
रोकड़ बही की तिथि	**चेक संख्या द्वारा भुगतान**	**रोकड़ पृष्ठ**	**ऑनलाइन भुगतान तिथि**	**राशि (रु.)**	**अधिक भुगतान**
17.07.14	8310888	25	17.06.14	14850/-	14850/-
17.07.14	8310890	25	17.06.14	6400/-	6400/-
***	-------	------	**17.06.14**	**6400/-**	**6400/-**
निर्माण कार्य सिंचाई टैंक, चड़ेटी					
17.07.14	8310888	25	17.06.14	23100/-	23100/-
17.07.14	8310889	25	17.06.14	8600/-	8600/-
अधिक भुगतान/आहरित की गई राशि					**₹59,350**

निर्माण टैंक बारू राम, मानगढ़ के कार्य में बिल संख्या: 165 **₹6400**. का भुगतान श्री सुभाष कुमार डिंगर सिक्कन को बिल संख्या 166 व् 167 के अन्तर्गत ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स के अनुसार दो बार दर्शाया गया है जबकि उक्त बिल का भुगतान रेत विक्रेता को चेक **संख्या 8310890** द्वारा दिनांक **17.07.2014** को भी किया गया था, इस प्रकार एक ही भुगतान 3 बार हुआ प्रतीत होता है| जिस बारे जाँच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए, अधिक भुगतान पाए

जाने की स्थिति में उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया **जाए**।

(iv) सीमेंट को HPSCSC, Ltd से न खरीदकर ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा सीमेंट की खरीद (निम्न तालिकानुसार) HPSCSC, Ltd से न करके निजी विक्रेताओं से की गई है जिसके कारण पंचायत निधि से **₹9,729** का अधिक भुगतान हुआ है जबकि मनरेगा योजना में सीमेंट की आपूर्ति HPSCSC, Ltd द्वारा ही की जाती है। इसके अतिरिक्त उक्त खरीद से पूर्व पंचायत द्वारा HPSCSC, Ltd से सीमेंट की आपूर्ति न करने बारे कोई भी अनापत्ति (NOC) प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था क्योकि ऐसा कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया| अतः उक्त खरीद को HPSCSC, Ltd से न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये, अन्यथा उक्त खरीद पर अधिक व्यय की गई राशि को सम्बन्धित से वसूलकर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। सीमेंट की उक्त खरीद का ब्यौरा निमनानुसार है।

क्रम संख्या	विक्रेता का नाम	बिल संख्या व दिनांक	मनरेगा सीमेंट की मात्र	प्रति बैग दर (₹)	HPSCC की दरें (₹)	अधिक भुगतान (₹)
		निर्माण कार्य सिंचाई टैंक, चड़ेटी				
1	चमन प्रकाश	533/05.07.14	70 बैग	330/-	245.40	5922/-
		निर्माण कार्य टैंक बारू राम मानगढ़				
2	-----do-----	531/05.07.14	45 बैग	330/-	245.40	3807/-
			कुल अधिक अदायगी			**₹9729/-**

(v) मनरेगा योजना में जॉब कार्ड पर दर्ज/पंजीकृत नहीं पाए गए लोगों से कार्य दर्शाकर किया गया संदिग्ध भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान मस्टर रोल्स पर कार्य कर रहे लोगों का **जॉब कार्ड पंजीकरण पंजिका** के साथ मिलान करने पर पाया गया कि निम्न तालिका में दर्शाए गए लोग न तो सम्बन्धित जॉब कार्ड पंजीकरण पंजिका में पंजीकृत पाए गए और न ही उक्त मस्टर रोल्स पर उनके द्वारा किये गए कार्य दिवसों को सम्बन्धित पंजिका में दर्ज किया गया था, जिससे उक्त कार्यों पर मस्टर रोल्स पर दर्शाया गया भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है क्योंकि उक्त मस्टर रोल्स बिल्स न तो तकनीकी प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकित किये गए थे और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित व् पारित किये गए थे| अतः उक्त अनियमितता के बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भुगतान उचित न पाए जाने की स्थिति में उचित कार्यवाही अमल में लाकर इस प्रकार के सभी प्रकरणों की जाँच कर वसूली निर्धारित की जाए तथा अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए| उपरोक्त बारे विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है|

जॉब कार्ड में दर्ज/पंजीकृत नहीं पाए गए लोगों द्वारा मनरेगा योजना में दर्शाया गया कार्य/भुगतान

कार्य का नाम:- टैंक हरी राम मानगढ़ मस्टर रोल संख्या:-3979 {17.02.15 से 28.02.15}			
जॉब कार्ड होल्डर का नाम:- देविंदर सिंह जॉब कार्ड नंबर:- HP-10-002-053-01595800/253			
कार्य करने वाले का नाम	**बचत खाता संख्या**	**कार्य दिवस**	**विवरण**
धामला देवी	Not Mentioned	9 दिन @ 154/-	जॉब कार्ड में दर्ज नहीं पाए गए
संजीव कुमार	------do------	------do------	------do------
निशा देवी	------do------	------do------	------do------
जॉब कार्ड होल्डर का नाम:- नरदेव जॉब कार्ड नंबर:- HP-10-002-053-01595800/272			
तेजिन्दर	------do------	------do------	------do------
हरी राम	------do------	------do------	------do------
कार्य का नाम:- टैंक हरी राम मानगढ़ मस्टर रोल संख्या:-3616 {20.01.15 से 31.01.15}			
जॉब कार्ड होल्डर का नाम:- नरेश जॉब कार्ड नंबर:- HP-10-002-053-01595800/042			
बाबु राम	------do------	10 दिन @154/-	जॉब कार्ड में दर्ज नहीं पाए गए
जॉब कार्ड होल्डर का नाम:- जसवंत सिंह जॉब कार्ड नंबर:- HP-10-002-053-01595800/123			
रीना देवी	------do------	10 दिन @154/-	जॉब कार्ड में दर्ज नहीं पाए गए
कार्य का नाम:- टैंक यश पाल, मानगढ मस्टर रोल संख्या:-3623 {21.01.15 से 31.01.15}			
जॉब कार्ड होल्डर का नाम:- इश्वर सिंह जॉब कार्ड नंबर:- HP-10-002-053-01595700/276			
कृष्णा देवी	1516011012024	10 दिन @154/-	जॉब कार्ड में दर्ज नहीं पाए गए
जॉब कार्ड होल्डर का नाम:- दया राम जॉब कार्ड नंबर:- HP-10-002-053-01592900/298			
लीला देवी	1516011000948	10 दिन @154/-	जॉब कार्ड में दर्ज नहीं पाए गए
जॉब कार्ड होल्डर का नाम:- यश पाल जॉब कार्ड नंबर:- HP-10-002-053-01592900/188			
प्रेमी देवी	15163211001041	10 दिन @154/-	जॉब कार्ड में दर्ज नहीं पाए गए
किरण देवी	15163211001041	------do------	------do------

14 सक्षम प्राधिकारी व तकनीकी प्राधिकारी से सत्यापित व मूल्यांकित करवाए बिना मस्टर रोल्स ₹0.71 लाख का भुगतान:-

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि चयनित माह फरवरी, 2015 में मनरेगा योजना के अंतर्गत मस्टर रोल्स द्वारा **₹70,840 का** भुगतान कार्य को तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाए बिना ही किया गया था, क्योंकि इन पर करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई, जिनकी अनुपस्थिति में उक्त मस्टर-रोल्स द्वारा किये गये भुगतान सही थे अथवा नहीं, तथा भुगतान से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा इनका आकलन व मुल्यांकन कर लिया गया था इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी | अतः उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त मस्टर-रोल्स पर करवाए गए कार्यो का सक्षम तकनीकी

प्राधिकारी से मुल्यांकन करवाया जाए, तथा भुगतान की गई राशि यदि मुल्यांकन से अधिक पाई जाती है तो उसे उचित स्त्रोत से वसूली कर सम्बन्धित कोष में जमा किया जाए तथा भविष्य में मस्टर-रोल्स बिल्स की अदायगी से पूर्व उन्हें सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित/मूल्यांकित करने तथा सतर्कतता समितियों द्वारा कार्य के सही एवं पूर्ण होने बारे सत्यापित करने के उपरान्त ही उनकी राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए| उपरोक्त का विस्तृत ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है|

दिनांक	कार्य का नाम	मस्टर-रोल्स नं	राशि	रोकड़ पृष्ट
	महात्मा गाँधी राष्ट्रिय रोज़गार गारन्टी एक्ट			
14.02.15	L/D Naresh Kumar Mangarh	3616	12320/-	29
14.02.15	L/D Shonkiya Ram Mamgarh	3618	12320/-	29
14.02.15	Tank Suman Devi Mangarh	3620	13860/-	29
14.02.15	Tank Kundan Singh Mangarh	3621	9240/-	29
14.02.15	Tank Yash Pal Batol	3622	12320/-	29
14.02.15	------do------	3623	10780/-	29
	Total Payments during 02/2015		**₹70840/-**	

15 बिना बिल/वाउचर के राशि का आहरण/आहरित राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

(i). MHWDP,योजना के अन्तर्गत चयनित माह **01/2016** में निम्नतालिकानुसार दर्शाए गया ₹**21586** के भुगतान से सम्बन्धित बिल/रसीद अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनकी अनुपस्थिति में दर्शाया गया भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। भुगतान वास्तविक/उचित न पाए जाने की स्थिति में आहरित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

कार्य का नाम	चेक नं	विवरण	राशि
निर्माण बाऊडी, बाड़ू	282808	70 किलो सरिया @ 45/-	3307/-
नि. खुरली लेखराज, मानगढ़	282809	------do------	3397/-
नि. खुरली रूपराम , मानगढ़	282810	------do------	3397/-
नि. खुरली प्रभा देवी, मानगढ़	282811	------do------	3397/-
नि. खुरली प्रेम देवी, मानगढ़	282812	------do------	3397/-
निर्माण जोहड़, क्यारटू	282813	------do------	4691/-
		कुल आहरण/भुगतान	**₹21586**

(ii) इसी प्रकार **अनुदान विकास कार्य** की रोकड़ बही के पृष्ट संख्या 54 पर दिनांक 10.02.2015 **₹16314** का दर्ज व्यय भुगतान निर्माण सामुदायिक भवन मंझोल-{13th FC DDC} से सम्बन्धित मस्टर रोल्स **संख्या:19215** अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया| अतः बिना

व्यय प्रमाणकों के किया गया भुगतान अनियमित है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भुगतान वास्तविक/उचित न पाए जाने की स्थिति में आहरित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

16 पंचायत निधि से सावधि जमा में निवेश की गई राशि के रख-रखाव से सम्बन्धित अनियमितता बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत निधि से दिनांक 17.09.1996 को **₹**28408 39 महीने के लिए 13% वार्षिक ब्याज सावधि जमा में निवेश की गई थी, उक्त निवेश के रख-रखाव से सम्बन्धित **सावधि जमा रजिस्टर (FDR Register)** का संधारण नहीं किया गया है जिससे 17.09.1996 से 27.03.2013 के दौरान उक्त निवेश पर बैंक द्वारा दी गई ब्याज की राशि सही थी अथवा नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी, क्योंकि उक्त सावधि जमा राशि कब-कब किस अवधि तथा किन ब्याज दरों पर निवेशित होती रही इस बारे कोई भी अभीलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त सावधि जमा पर 17.09.1996 से 27.03.2013 तक ₹49,541ब्याज अर्जित हुआ था, जबकि अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹77,949.{ 28408+49,541} पर **28.03.2013 से 28.03.2015** के दौरान **9.1%** वार्षिक ब्याज दर से **₹15,369**. तथा 28.03.2015 से 28.03.2017 के दौरान **8.75%** वार्षिक ब्याज दर से **₹17,637**.का ब्याज अर्जित/प्राप्त हुआ है जिसे वितीय स्थिति तैयार करते समय पंचायत की आय में शामिल कर लिया गया है। उक्त FDR उस पर दर्ज विवरण के अनुसार **₹1,10,955** दिनांक **28.03.2017 से 6.90%** वार्षिक ब्याज की दर दो वर्षों के लिए **28.03.2019** तक निवेश की गई है। अतः उक्त निवेश से सम्बन्धित **सावधि जमा पंजिका** का संधारण कर उसी में उसका रख-रखाव करना सुनिश्चित किया जाए तथा 17.09.1996 से 27.03.2013 की अवधि में उक्त निवेश पर बैंक द्वारा जो ब्याज की राशि प्रदान की गई है उसका उक्त अवधि में प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार बैंक के साथ मिलान कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्शायी जाए।

17 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

18 ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को बिना बिल वाउचर तैयार/पारित किये मानदेय का भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 64 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, चौकीदार, सिलाई प्रशिक्षण अध्यापिका आदि को मासिक मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायत निधि तथा सरकार से प्राप्त अनुदान से किया गया

है| परन्तु उक्त मानदेय के भुगतान से पूर्व पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर तैयार कर पंचायत में पारित नहीं किया गया है, खाली **मानदेय पंजिका** में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लेकर राशि का भुगतान दर्शाया गया है में किया गया है और न ही अंकेक्षण के दौरान न तो उक्त भुगतान से सम्बन्धित **मानदेय रजिस्टर** प्रस्तुत किया गया और न ही मानदेय प्राप्ति की सम्बन्धित द्वारा दी गई रसीद ही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई, जिसके अभाव में उक्त भुगतान का वास्तविक देय राशि से अधिक भुगतान हो जाने पर नियन्त्रण नहीं रह जाता क्योंकि मानदेय के भुगतान हेतु प्राप्त अनुदान तथा तदानुसार उसका सम्बन्धित व्यक्ति को भुगतान का रख-रखाव सामान्य निधि खाते में ही किया गया है, जहाँ से इसका अधिक भुगतान हो जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता| इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज/अभिलेख अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में मानदेय का दर्शाया गया भुगतान सही था भी या नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वांछित अभिलेख नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए ।

19 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर
5. अग्रिमों का रजिस्टर
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर
7. प्राक्कलन,तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर
9. स्टेशनरी रजिस्टर
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर
11. मस्टर रोल्स इशू रजिस्टर
12. इन्वेंटरी रजिस्टर

20 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भंडार का नियमानुसार

सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्तिथि स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

21 लघु आपत्ति विवरणिका :-

i) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया जा रहा है जबकि पंचायती राज वित्त नियम,2002 के नियम 49(1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्तः हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा उस व्यय को पारित किये जाने से सम्बंधित प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित किया जाना अनिवार्य है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये जा रहे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का पालन किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22. निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)17/2018 खण्ड–1–2393–2396 दिनांक 05.04.2018 शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर हि0प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर हि0प्र0

पंजीकृत 4. सचिव, ग्राम पंचायत मानगढ़ विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881